भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2463

सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

2463. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्री रोड़मल नागर:
श्री खगेन मुर्मु

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत घरेलू काम को अनूसूचित रोजगार के रूप में वर्गीकृत किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में घरेलू कामगारों के लिए निर्धारित प्रति घंटा, प्रतिदिन और प्रति माह राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी कितनी है और यदि नहीं तो घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे से बाहर करने के क्या कारण हैं;

(ख) देश में घरेलू कामगारों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके द्वारा अर्जित औसत मजदूरी राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश में घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण करने के लिए कोई कार्य योजना संचालित करने का विचार है और यदि हां, तो घरेलू कामगारों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण द्वारा अब तक कितने लोगों का राज्य-वार सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि निजी संस्थानों में 10 दिनों के लिए मजदूरों का वेतन रोक दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में नियमानुसार श्रमिकों को वेतन भुगतान में लापरवाही करने वाले संस्थानों की संख्या कितनी है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) निजी संस्थानों और संविदा मजदूरों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/ निगरानी तंत्र अपनाया गया है; और

(च) क्या सरकार का देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर नियमित अंतराल पर मजदूरों के पारिश्रमिक को महंगाई भत्ते में वृद्धि के समान बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): घरेलू कार्य उन प्रतिष्ठानों के संबंध में अनुसूचित रोजगारों का भाग नहीं बनता है जिनके संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। चूंकि घरेलू

https://www.staffnews.in

कार्य घरों में किया जाता है, इसलिए घरेलू कार्य को रोजगारों की अनुसूची में जोड़ना राज्य सरकारों के दायरे में आता है।

मजदूरी संहिता, 2019 जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध शामिल हैं, में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में संपूर्ण नियोजनों में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का उपबंध है। मजदूरी संहिता, 2019 के उक्त उपबंध लागू नहीं हुए हैं।

(ख): जनगणना 2011 के अनुसार, देश में घरेलू कामगारों की संख्या 47, 81,355 थी। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। घरेलू कामगारों द्वारा अर्जित औसत मजदूरी का राज्य-वार डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने घरेलू कामगारों की राज्यवार संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से जनवरी, 2022 माह में अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण (डीडब्ल्यू) के लिए फील्डवर्क आरंभ कर दिया है। 36 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कवर की जाने वाली प्रथम चरण की इकाइयों (एफएसयू) की संख्या 12766 (6190 ग्रामीण + 6576 शहरी) है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों का आधार सहबद्ध राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका शुभारम्भ दिनांक 26.08.2021 को किया गया है और घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 29.07.2022 की स्थिति के अनुसार, 28.03 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध है। सरकार ने जीवन और नि:शक्तता कवर के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा घरेलू कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों को पेंशन के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं आरंभ की हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) घरेलू कामगारों सहित उन सभी असंगठित कामगारों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा, 2011 के अनुसार पात्र लाभार्थियों के रूप में शामिल हैं।

सरकार ने घरेलू कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डीडब्ल्यूएसएससी) घरेलू कामगारों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत घरेलू कामगार क्षेत्र सहित 37 क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप नौकरी की भूमिकाओं में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण प्रदान किया जा रहा है। घरेलू कामगार क्षेत्र में, अभ्यर्थियों को घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद के अनुरूप नौकरी की चार भूमिकाओं नामत: बाल देखभाल (गैर-नैदानिक), बुज़ुर्ग देखभाल (गैर-नैदानिक), सामान्य हाउसकीपर तथा गृहस्थ-सह-रसोइया में

https://www.staffnews.in

प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण दिया जाता है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.92 लाख अभ्यर्थियों को घरेलू कामगार क्षेत्र में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(घ) और (ङ): मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी उपबंधों सहित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में, समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यत: केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। पदनामित निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और मजदूरी/ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम मजदूरी का भुगतान करने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को वेतन में की गई कटौती का भुगतान करने का निदेश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के तहत निर्धारित शास्ति उपबंधों का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रवर्तन का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं बनाया जाता है।

(च): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, पुनर्विचार करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी प्रत्येक छह माह में न्यूनतम मजदूरी की बुनियादी दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करती है। वी.डी.ए. में पिछला संशोधन दिनांक 01.04.2022 से किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों को देय बढ़ते हए वी.डी.ए. के कारण मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी दर्शाने वाला विवरण अनुबंध III में दिया गया है। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के आवधिक संशोधन का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
***

*****

https://www.staffnews.in

<u>**अनुबंध-I**</u>

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संबंध में दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2463 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	घरेलू कामगारों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	2,085
2.	आंध्र प्रदेश	4,66,209
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,855
4.	असम	38,397
5.	बिहार	39,685
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	23,110
7.	छत्तीसगढ	1,08,422
8.	दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	1,403
9.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,503
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,11,767
11.	गोवा	20,810
12.	गुजरात	2,39,517
13.	हरियाणा	1,02,476
14.	हिमाचल प्रदेश	23,128
15.	जम्मू और कश्मीर	18,937
16.	झारखंड	39,371
17.	कर्नाटक	3,26,585
18.	केरल	1,65,012
19.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	39
20.	मध्य प्रदेश	1,89,170
21.	महाराष्ट्र	9,92,040
22.	मणिपुर	1,248
23.	मेघालय	11,461
24.	मिजोरम	1,718
25.	नागालैंड	2,470
26.	ओडिशा	92,714
27.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	22,815
28.	पंजाब	1,41,861
29.	राजस्थान	99,288
30.	सिक्किम	3,157
31.	तमिलनाडु	6,05,169
32.	त्रिपुरा	8,770
33.	उत्तर प्रदेश	2,01,316
34.	उत्तराखंड	27,512
35.	पश्चिम बंगाल	5,49,335
	कुल	**47,81,355**

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा

https://www.staffnews.in

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संबंध में दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2463 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, अभियोजनों और अपराधसिद्धियों का ब्यौरा

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधारी गई गई अनियमितताओं की संख्या	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	अपराध-सिद्धियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किए गए दावा मामले

वर्ष	**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किए गए दावा मामले**			
	दायर किए गए	निर्णीत	अधिनिर्णीत	लाभान्वित कामगारों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2019-20	3470	754	Rs. 217981002/-	5297
2020-21	3763	1334	Rs. 270202177/-	7631
2021-22	5297	2102	Rs. 177722490/-	7487

https://www.staffnews.in

"न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" के संबंध में पूछे गए, दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2463 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 19.01.2017 से 01.04.2022 तक वीडीए के संशोधन के कारण न्यूनतम मजदूरी की बड़ी हुई दरों को दर्शाता विवरण

अनुसूचित नियोजन	कामगार की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है					
		क्षेत्र क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022	19.01.2017	01.04.2022
कृषि	अकुशल	333	423	303	385	300	382
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	364	461	335	425	307	389
	कुशल/लिपिकीय	395	502	364	461	334	424
	अतिकुशल	438	554	407	516	364	461
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	523	663	437	553	350	443
पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	637	806	579	734	494	625
	शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	693	876	637	806	579	734
लादना एवं उतारना #	अकुशल	523	663	437	553	350	443
निर्माण ^	अकुशल	523	663	437	553	350	443
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	579	734	494	625	410	519
	कुशल/लिपिकीय	637	806	579	734	494	625
	अति कुशल	693	876	637	806	579	734
		19.01.2017			**01.04.2022**		
पत्थर खानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई में कार्यरत मजदूर	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में :*						
	(क) नरम मिट्टी	351			447		
	(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी	531			672		
	(ग) चट्टान	703			890		
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में·	283			359		
	3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए··						
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2171			2736		
	(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	1857			2340		
	(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1088			1374		

	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	893		1129	
गैर-कोयला खानें$		**भूमि के ऊपर { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**		**भूमि के नीचे { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**	
		19.01.2017	**01.04.2022**	**19.01.2017**	**01.04.2022**
	अकुशल	350	443	437	553
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	437	553	523	663
	कुशल/लिपिकीय	523	663	610	772
	अति कुशल	610	772	683	862

*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, **1993** के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर साफ और सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी; **(ii)** अन्य गुड्स शेड, गोदाम, गोदाम और अन्य समान रोजगार; **(iii)** गोदी और बंदरगाह; और **(iv)** हवाई अड्डों में यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) ले जाने वाले कर्मचारी।

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेल्क बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी), गेरू की खदान, अभ्रक की खदानों, आग की मिट्टी की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फ़ेलस्पार की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खदानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

https://www.staffnews.in

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम))	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिको	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।

एनबी : यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।

https://www.staffnews.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2463
TO BE ANSWERED ON 01.08.2022

MINIMUM WAGES ACT

2463. SHRIMATI PRATIMA MONDAL:
SHRIMATI KESHARI DEVI PATEL:
SHRI RODMAL NAGAR:
SHRI KHAGEN MURMU:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a)whether the Government has classified/proposes to classify domestic work as scheduled employment under the Minimum Wages Act, if so, the details thereof along with the per hour, per day and per month minimum wages fixed for domestic workers in the country, if not, the reasons for excluding domestic workers out of the purview of the Minimum Wages Act;
(b)the number of persons working as domestic workers in the country and the average wages earned, State-wise;
(c)whether the Government proposes to conduct any action plan to survey the domestic workers of the country and if so, the steps being taken for social, economic and educational upliftment of the domestic workers along with the State-wise number of people surveyed so far by the All India Domestic Workers Survey;
(d)whether the Government is aware of the fact that the wages of labourers are withheld for 10 days in private institutions, if so, the details thereof along with the number of institutions found to be negligence in paying wages to workers as per rule in Uttar Pradesh and action taken against them;
(e)the steps taken/monitoring mechanism adopted to ensure minimum wages to the workers of private institutions and contract labourers, State-wise; and
(f)whether the Government proposes to increase the wages of labourers throghout the country at par with increase in the dearness allowance of Government employees at regular interval, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a): Domestic work does not form part of the scheduled employments in relation to the establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the provisions of

https://www.staffnews.in
Contd..2/-

the Minimum Wages Act, 1948. As domestic work is performed in households, adding domestic work to the schedule of employments is under the purview of the State Governments.

The Code on Wages, 2019, which subsumes the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, provides for universal minimum wage across employments in organized and unorganized sector. The said provisions of the Code on Wages, 2019, have not come into force.

(b): As per Census 2011, the number of domestic workers in the country were 47, 81,355. State-wise details are given at the Annexure I. State-wise data on the average wages earned by domestic workers is not maintained centrally.

(c): Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment has launched the fieldwork for the All India Survey on Domestic Workers (DW) in the month of January, 2022 with the objective to estimate the State wise number of Domestic Workers and their socio-economic conditions. The number of First stage Units (FSU) to be covered in 36 States/UTs is 12766 (6190 Rural + 6576 Urban).

Further, the Ministry of Labour & Employment has developed e-SHRAM portal which is a National Database of the Unorganised Workers seeded with Aadhaar. It has been launched on 26.08.2021 and made available to the States/UTs for the registration of unorganised workers including domestic workers on e-SHRAM portal. As on 29.07.2022, more than 28.03 crore unorganized workers have been registered on e-SHRAM portal.

The Unorganized Workers' Social Security Act, 2008, provides for social security to all unorganized workers including domestic workers. Government has launched Central Sector Schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana (PMSBY) for life and disability cover and Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana (PM-SYM) for pension to the unorganized workers including domestic workers. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) provides secondary and tertiary health benefits to all unorganized workers including domestic workers who are covered as eligible beneficiaries as per Socio Economic Caste census Data, 2011.

Government has launched various schemes for unorganized sector workers including domestic workers. Domestic Workers Sector Skill Council (DWSSC), under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), is imparting various skill development training programmes to domestic workers. Under Skill India Mission, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) is implementing Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) under which training/orientation is

Contd..3/-

https://www.staffnews.in

being imparted to candidates in various National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned job roles across 37 sectors, including Domestic Workers Sector. In the Domestic Workers Sector, training/orientation is given to candidates in four job roles namely, child caretaker (non-clinical), elderly caretaker (non-clinical), general housekeeper and housekeeper-cum-cook aligned to the Domestic Workers Sector Skill Council. Under PMKVY, as on 30.06.2022, around 1.92 lakh candidates have been trained / oriented in the Domestic Worker Sector.

(d) & (e): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central and the State Governments are appropriate Governments to enforce the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, including the provisions relating to non-payment of wages/minimum wages, in their respective jurisdictions. In the Central sphere the enforcement is done through the Inspecting Officers of the Chief Labour Commissioner (Central) commonly designated as Central Industrial Relations Machinery (CIRM) and the compliance in the State Sphere is ensured through the State Enforcement Machinery. The designated inspecting officers conduct regular inspections and in the event of detection of any case of non-payment or underpayment of wages/minimum wages, they direct the employers to make payment of the shortfall of wages. In case of non-compliance, penal provisions prescribed under section 22 of the Minimum Wages Act, 1948 are taken recourse to. The details in regard to enforcement of the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, in scheduled employments in the Central Sphere are Annexure II. Details of enforcement of the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, in the State sphere are not centrally maintained.

(f): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central Government and the State Governments are appropriate Governments to fix, review and revise the minimum wages of the employees employed in the scheduled employments under their respective jurisdictions. In order to take care of the rising prices, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months effective from 1st April and 1st October of every year on the basis of Consumer Price Index for Industrial workers. V.D.A. was last revised w.e.f. 01.04.2022. A statement showing increase in the rates of wages on account of increasing V.D.A payable to the employees engaged in the scheduled employments in the Central Sphere is at Annexure III. The details of periodic revision of minimum rates of wages in scheduled employments in the State sphere are not centrally maintained.

*** ******

https://www.staffnews.in

Annexure I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA UN-STARRED QUESTION No. 2463 FOR 01.08.2022 REGARDING MINIMUM WAGES ACT.

Sr. No.	States/UTs	Number of Domestic Workers
1.	Andaman & Nicobar Islands UT	2,085
2.	Andhra Pradesh	4,66,209
3.	Arunachal Pradesh	2,855
4.	Assam	38,397
5.	Bihar	39,685
6.	Chandigarh UT	23,110
7.	Chhattisgarh	1,08,422
8.	Dadra & Nagar Haveli UT	1,403
9.	Daman & Diu UT	1,503
10.	NCT of Delhi	2,11,767
11.	Goa	20,810
12.	Gujarat	2,39,517
13.	Haryana	1,02,476
14.	Himachal Pradesh	23,128
15.	Jammu & Kashmir	18,937
16.	Jharkhand	39,371
17.	Karnataka	3,26,585
18.	Kerala	1,65,012
19.	Lakshadweep UT	39
20.	Madhya Pradesh	1,89,170
21.	Maharashtra	9,92,040
22.	Manipur	1,248
23.	Meghalaya	11,461
24.	Mizoram	1,718
25.	Nagaland	2,470
26.	Odisha	92,714
27.	Puducherry UT	22,815
28.	Punjab	1,41,861
29.	Rajasthan	99,288
30.	Sikkim	3,157
31.	Tamilnadu	6,05,169
32.	Tripura	8,770
33.	Uttar Pradesh	2,01,316
34.	Uttarakhand	27,512
35.	West Bengal	5,49,335
	Total	47,81,355

Data as per Census 2011

https://www.staffnews.in

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (d) & (e) OF LOK SABHA UN-STARRED QUESTION No. 2463 FOR 01.08.2022 REGARDING MINIMUM WAGES ACT.

Details of Inspections, Prosecutions and Convictions done under the Minimum Wages Act, 1948

Particulars	No. of Inspections Conducted	No. of Irregularities detected	No. Irregularities Rectified	No. of Prosecutions Launched	No. of Convictions
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167

Claim cases under Minimum Wages Act, 1948

Year	CLAIMS FILED UNDER MINIMUM WAGES ACT, 1948			
	FILED	DECIDED	AWARDED	No. of WORKERS BENEFITED
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2019-20	3470	754	Rs. 217981002/-	5297
2020-21	3763	1334	Rs. 270202177/-	7631
2021-22	5297	2102	Rs. 177722490/-	7487

https://www.staffnews.in

<u>**Annexure III**</u>

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (f) OF LOK SABHA UN-STARRED QUESTION No. 2463 FOR 01.08.2022 REGARDING MINIMUM WAGES ACT.

STATEMENT SHOWING INCREASED RATES OF MINIMUM WAGES ON ACCOUNT OF REVISION OF VDA FROM 19.01.2017 TO 01.04.2022.

Scheduled Employment	**Category of Workers**	**Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)**					
		Area A		**Area B**		**Area C**	
		19.01.2017	**01.04.2022**	**19.01.2017**	**01.04.2022**	**19.01.2017**	**01.04.2022**
Agriculture	Unskilled	333	423	303	385	300	382
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	364	461	335	425	307	389
	Skilled/Clerical	395	502	364	461	334	424
	Highly-skilled	438	554	407	516	364	461
Sweeping and Cleaning+	Unskilled	523	663	437	553	350	443
Watch and Ward	Without Arms (Upgraded to skilled with training)	637	806	579	734	494	625
	With Arms(Upgraded to highly skilled for supervision)	693	876	637	806	579	734
Loading & Unloading#	Unskilled	523	663	437	553	350	443
Construction^	Unskilled	523	663	437	553	350	443
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	579	734	494	625	410	519
	Skilled/Clerical	637	806	579	734	494	625
	Highly-skilled	693	876	637	806	579	734
		19.01.2017			**01.04.2022**		
Workers engaged in Stone Mines for Stone Breaking and Stone Crushing	1.Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift:*****						
	(a) Soft Soil	351			447		
	(b) Soft Soil with Rock	531			672		
	(c) Rock	703			890		
	2. Removal and Staking of rejected stones with 50 metres lead/1.5metres lift*	283			359		
	3. Stone breaking or Stone Crushing for the stone size of******						
	(a) 1.0 inch to 1.5 inches	2171			2736		
	(b) Above 1.5 Inches to 3.0 Inches	1857			2340		
	(c) Above 3.0 Inches to 5 Inches	1088			1374		
	(d) Above 5.0 Inches	893			1129		

Non - Coal Mines $		**Above Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)}**		**Below Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)}**	
		19.01.2017	**01.04.2022**	**19.01.2017**	**01.04.2022**
	Unskilled	350	443	437	553
	Semi-skilled/Unskilled Supervisory	437	553	523	663
	Skilled/Clerical	523	663	610	772
	Highly-skilled	610	772	683	862

https://www.staffnews.in

*Per 2.831 cubic meters or 100 cubic feet
** Per truck load of 5.662 cubic meters or 200 cubic feet

+Employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding Activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

#Employees engaged in the employment of Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic).

^Employees engaged in the employment of construction or maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines.

$Employees engaged in the employment of Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate and Magnetite Mines.

https://www.staffnews.in

Classification of Area

AREA – “A”					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Navi Mumbai		Pune	(UA)		
AREA – “B”					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M. Corpn)	Jaipur	(M. Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M. Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M. Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M. Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvananthapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M. Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M. Corpn)	Ujjain	(M. Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M. Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M. Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)	Gorakhpur	(UA)
NandedWaghala	(M. Corpn)	Greater Visakhapatnam	(M. Corpn)	Nasik	(UA)
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)	Guntur	(UA)
Panchkula	(UA)	Guwahati	(UA)	Patna	(UA)

Area ‘C’ will comprise all areas not mentioned in this list.
NB: U.A. stands for Urban Agglomeration.

****

https://www.staffnews.in